

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर भीलवाडा

उनवान

नन्दराम पुत्र श्री उदयराम खाती निवासी-एकलिंगपुरा तहसील व जिला-भीलवाडा

नन्दराम पुत्र श्री उदयराम खाती निवासी-एकलिंगपुरा तहसील व जिला-भीलवाडा

बनाम

--वादी

- 1- श्री माधुलाल पिता रूपा, निवासी एकलिंगपुरा तहसील व जिला-भीलवाडा
- 2- नारायण पिता रामलाल जाट निवासी एकलिंगपुरा तहसील व जिला-भीलवाडा
- 3- कैलाश पिता रामलाल जाट निवासी एकलिंगपुरा तहसील व जिला-भीलवाडा
- 4- गट्टू बेवा रामलाल खाती निवासी एकलिंगपुरा तहसील व जिला-भीलवाडा
- 5- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

--प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-54 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या 13/2019 राजस्व वाद
निर्णय दिनांक 19.08.2020

आज तारीख 19.08.2020 को धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है-


वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल जोशी उपस्थित व प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन कर दिया जाये तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। इस वाद के आज दिनांक 19.8.2020 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि -

ग्राम एकलिंगपुरा, पटवार हल्का तिलोली, भू अभिलेख क्षेत्र कारोईकलां, तहसील भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन कब्जे अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 4 के नाम हिस्से कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 04 के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें -

वादी:- नन्दराम पुत्र श्री उदयराम खाती निवासी-एकलिंगपुरा तहसील व जिला-भीलवाडा के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	लगान
652	1.03	-
913/2	1.00	-
905	1.16	-
893	1.01	-
908	1.01	-
907	1.06	-
912	0.05	-
909	0.06	-
894/1	0.05.10	-
किता-9	रकबा 8.03.10 बीघा	-

प्रतिवादीगण सं0:- 1 से लगायत 04 श्री माधुलाल पिता रूपा, नारायण, कैलाश पिता रामलाल, मु0 गट्टू बेवा रामलाल खाती निवासी एकलिंगपुरा तहसील व जिला-भीलवाडा के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।


सहायक कलक्टर

आराजी नं.	रकबा	लगान
651	1.02	—
913 / 3	0.19	—
911	0.12	—
655	0.06	—
653	0.07	—
902	2.12	—
894	0.15.10	—
903	1.10	—
किता-8	रकबा 8.03.10 बीघा	—

वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच निम्न भूमि हिस्सा व कब्जे अनुसार सामलाती रहेगी।

आराजी नं.	रकबा	लगान
912 / 1	0.02	—
913 / 1	0.06	—
905 / 1	0.03	—
903 / 1	0.03	—
906	0.03	—
किता-5	रकबा 0.17 बीघा	—

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 04 के नाम भूमि हिस्से कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 19.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर ओर न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

Sudh Pr Singh
 (धायगुडे स्नेहल नाना)
 आई.ए.एस.(प्रशिक्ष)
 सहायक कलेक्टर
 भीलवाड़ा